भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2118
12 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

तमिलनाडु में आधुनिक अवसंरचना में कृषि प्रसंस्करण का विकास

†2118. श्री जी. सेल्वमः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में आधुनिक अवसंरचना के द्वारा कृषि प्रसंस्करण के विकास के लिए अवसंरचना के निर्माण हेतु योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में जिलावार स्वीकृत, पूर्ण और लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और सृजित क्षमता तथा स्वीकृत एवं जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या तमिलनाडु में बड़ी संख्या में लघु एवं सीमांत किसान, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और ग्रामीण उद्यमी उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अनुमोदन में विलंब, अपर्याप्त जागरूकता और प्रक्रियात्मक जटिलताओं ने राज्य में आधुनिक कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों और मूल्य श्रृंखलाओं की स्थापना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और
(ङ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कृषि-प्रसंस्करण अवसंरचना की समान पहुंच, त्वरित कार्यान्वयन और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से **(ग):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017 से देश में क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु आधुनिक अवसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक घटक योजना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) अवसंरचना सृजन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना मांग आधारित है। मंत्रालय कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना के लिए उद्यमियों / निवेशकों को अनुदान

सहायता / सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत आवेदनों को निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के तहत संभावित निवेशकों / उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय और राज्य पीएसयू / संयुक्त उद्यम / गैर सरकारी संगठन / सहकारी / स्व-सहायता समूह (एसएचजी) / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) / सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां / सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) / साझेदारी फर्म / स्वामित्व फर्म पात्र संस्थाएं / संगठन हैं जो एपीसी योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में 2 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को अनुमोदित किया है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन 2 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों का वर्ष-वार, जिला-वार, श्रेणी-वार विवरण अनुबंध में संलग्न है।

(घ): परियोजनाएं लागू करने में देरी मुख्य रूप से वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने, भूमि अधिग्रहण, नियामक मंजूरी, बाजार संपर्क स्थापित करने और प्रौद्योगिकी अपनाने में देरी के कारण है। परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों को स्वयं ये मंजूरी प्राप्त करनी होगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त अनुरोधों के मामले में, मंत्रालय परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को हल करने के लिए संबंधित विभागों / एजेंसियों के साथ मामला उठाता है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि समय-समय पर जारी किए गए योजना दिशानिर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, अभिरुचि की अभिव्यक्ति को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट, संपदा पोर्टल पर अपलोड / प्रकाशित किया जाए और व्यापक प्रचार के लिए मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर विवरण / तथ्यों का प्रसार किया जाए। इसके अलावा, जब भी योजना ईओआई जारी किए जाते हैं, तो सभी राज्यों और व्यापार संघों को भी व्यापक प्रसार और मंत्रालय के ईओआई के बारे में जागरूकता के लिए सूचित किया जाता है।

(ङ): मंत्रालय परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें / स्थल निरीक्षण आयोजित करके परियोजनाओं की निगरानी करता है और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के अनुरोध पर मंत्रालय भी राज्य सरकार के संबंधित विभाग और उनकी एजेंसियों के साथ मामले को सुचारू और समय पर कार्यान्वयन करने के लिए उठाता है। मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही योजना की परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से अनुमोदित परियोजनाओं के सभी आवेदकों के साथ नियमित रूप से संपर्क में है और कार्यान्वयन के दौरान उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है।

परिशिष्ट

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए "तमिलनाडु में आधुनिक अवसंरचना के कृषि प्रसंस्करण का विकास" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2118 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. स.	परियोजना निष्पादन एजेंसी (पीईए) का नाम	जिला	पीईए की श्रेणी (सामान्य / एससी / एसटी)	अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	अनुमोदित अनुदान / सब्सिडी (करोड़ रु. में)	जारी कुल अनुदान / सब्सिडी (करोड़ रु. में)	अनुमोदन वर्ष	अपेक्षित कुल प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता (एमटी / ए)
1	मेसर्स वामसी आरएस इंडस्ट्रियल जोन	इरोड	सामान्य	17.11.2021	33.167	9.1351	2.88	2021-22	79700
2	मेसर्स इंटीग्रेटेड सर्विस पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड	थिरूवल्लूर	सामान्य	28.02.2024	42.635	10	6.67	2023-24	248400